छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2008

क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच (26) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:--

अनुसूची

अ.क.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके
		۵	अध्ययीन रहते हुए छूट
			प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पीतल, तांबा तथा कांसे	अंशतः इस प्रकार जिससे	. ,
	की चद्दरे और सर्कल		
	एवं एल्यूमिनियम स्क्रेप से		
	निर्मित चद्दरे तथा		
	सर्कल		
2.	जूट बेग्स	अंशतः इस प्रकार जिससे	
		कर की दर घटकर	
		1 प्रतिशत हो जाए।	
3.	लोहा की चद्दरे	अंशतः इस प्रकार जिससे	
		कर की दर घटकर	
		1 प्रतिशत हो जाए।	
4.	सायकल के पुर्जें	अंशतः इस प्रकार जिससे	
		कर की दर घटकर	
		1 प्रतिशत हो जाए।	
5.	तैयार वस्त्र	अंशतः इस प्रकार जिससे	
		कर की दर घटकर	
		1 प्रतिशत हो जाए।	
6.	जूट कपड़ा एवं जूट		
	रस्सी	कर की दर घटकर	
		1 प्रतिशत हो जाए।	

7.	ट्रांसफार्मर	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
8.	पैकेट चाय	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब पंजीकृत व्यवसायी, जो राज्य में स्थित एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रूपए से अधिक न हो एवं छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण/ ब्लेंडिंग पश्चात् बेची जाए।
9.	स्पंज आयरन	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	COURT BOOK EMPOWERING LEGAL GLARITY

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (क्रे.आर. मिश्रा) संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/2008

क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच(26), दिनांक 31/03/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (के.आरं. मिश्रा) संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated

No. F-10/ /2008/CT/V () – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1st April, 2008 to 31st March, 2009:-

SHCEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption
		1	is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sheets and circles of	Partly so as to	
	brass, copper and	reduce the rate of	
	kansa and sheets and	tax to 1 percent.	
	circles manufactured		
	out of aluminium scrap		
2.	Jute bags	Partly so as to	
		reduce the rate of	
		tax to 1 percent.	
3.	Iron Sheets	Partly so as to	
		reduce the rate of	
		tax to 1 percent.	
4.	Cycle parts	Partly so as to	
		reduce the rate of	
		tax to 1 percent.	

5.	Readymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
6.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
7.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.
8.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
9.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Joint Secretary

Guison

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/4/2008

क्रमांक एफ-10/40/2008/वाक/पांच (32) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 मई, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की RT BOOK कालाविध के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनूसूची

अ.क.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके
01.97.	परपुजा पर्ग जना	पूर पर्ग सामा	
			अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(-)	(a)	•
(1)	<i>(2)</i> एल्युमिनियम से बने थर्माइट	(3)	(4)
1.	•	l = .	
	फ्लक्स (एल्युमिनियम पाउडर)	जिससे कर की दर	
	वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाइडिंग	घटकर 2 प्रतिशत हो	
	वायर, फॉइल, कन्डक्टर्स और	जाए।	
	एक्सट्रुडेड सेक्शन्स।		
2.	खाद्य तेल एवं खली	अंशतः इस प्रकार	
		जिससे कर की दर	
		घटकर 2 प्रतिशत हो	
		जाए।	
3.	अर्थ मूविंग, सडक निर्माण,	अंशतः इस प्रकार	
	सामग्री हस्तन तथा खनन	जिससे कर की दर	
	उपकरण।	घटकर 2 प्रतिशत हो	
		जाए।	
4.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर	अंशतः इस प्रकार	
	अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74	जिससे कर की दर	
	सन् 1956) की धारा 14 के	घटकर 2 प्रतिशत हो	
	खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में		
	वर्णित है।		
5.	केमिकल्स	अंशतः इस प्रकार	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित
		जिससे कर की दर	
		घटकर 2 प्रतिशत हो	
		जाए।	करोड़ रूपए से अधिक न हो,
			द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
		I	

			<u> </u>	
6.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,	अंशतः इस प्रकार		
	1956 की धारा 14 के खंड (चार)	जिससे कर की दर	स्थित रि–रोलिंग मिल द्वारा	
	के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में	घटकर 2 प्रतिशत हो	उत्पादित एवं विकित हो।	
	वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स,	जाए ।		
	स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग			
	प्लेट बार्स एवं इनके छोर की			
	कटिंग्स् ।			
7.	एल्युमिनियम के सभी	अंशतः इस प्रकार	जब भारत एल्युमिनियम	
	उत्पाद्–प्रायमरी और सेकण्डरी।	जिससे कर की दर	कंपनी लिमि. कोरबा द्वारा	
	·	घटकर 2 प्रतिशत हो	उत्पादित एवं विक्रित हो।	
		जाए ।		
8.	फेरो एलायज।	अंशतः इस प्रकार		
		जिससे कर की दर		
		घटकर 2 प्रतिशत हो		001/
		जाए ।	EMPOWERING LEGAL	CLARITY
9.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,	अंशतः इस प्रकार	जब छत्तीसगढ़ राज्य में	
	1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की	जिससे कर की दर	स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा	
	धारा 14 के खण्ड (चार) के	घटकर 2 प्रतिशत हो	निर्मित एवं विकित हो।	
	प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील	जाए।		
	पाईप।			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

>) (के.आर. मिश्रा) संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 30/4/2008

क्रमांक एफ—10/40/2008/वाक/पांच—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10/40/2008/वाक/पांच(32), दिनांक 30/4/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (के.आरं. मिश्रा) संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30/4/2008

COURT BOOK

No. F-10/40/2008/CT/V (32) – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of the State section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1st May, 2008 to 31st March, 2009:-

SHCEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Thermite flux (Aluminium powder) wires, cables, strips, winding wire, foil, conductors and extruded sections made of aluminium.	reduce the rate of	
2.	Edible oil and oil cake.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
3.	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments.		

4.	Ingots, as specified in	Partly so as to		
4.	category (ii) of clause	Partly so as to reduce the rate of		
	(iv) of section 14 of the	tax to 2 percent.		
	Central Sales Tax Act,	tax to 2 percent.		
	1956 (No. 74 of 1956).			
5.	Chemicals	Dortly so as to	When manufactured	
3.	Chemicais	Partly so as to reduce the rate of		
			and sold by a small enterprise situated in	
		tax to 2 percent.	Chhattisgarh state,	
			where the investment	
			in plant and machinery does not exceed one	
			48. / 4	
6.	Iron and steel as	Partly so as to	when manufactured	
0.	specified in categories	•		OK
	(iv), (v) of clause (iv) of		mill situated in	
	section 14 of the Central	tax to 2 percent.	Chhattisgarh State.	
	Sales Tax Act, 1956		Cimattisgam State.	
	hoops, strips, fish plate			
	bars, bearing plate bars			
	and end cutting thereof.			
7.	All products of	Partly so as to	When manufactured	
	Aluminium primary and	_		
	secondary.	tax to 2 percent.	Aluminium Company	
		1	Ltd., Korba.	
8.	Ferro alloys	Partly so as to		
		reduce the rate of	?	
		tax to2 percent.		
9.	Steel tubes as specified	Partly so as to	When manufactured	
	in category (xi) of clause	reduce the rate of	and sold by an	
	(iv) of section 14 of the	tax to 2 percent.	industrial unit situated	
	Central Sales Tax Act,		in Chhattisgarh State.	
	1956 (No. 74 of 1956).			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Joint Secretary